अध्याय V: विदेश मंत्रालय

5.1 सेवा प्रदाता को अनुचित वित्तीय लाभ

मंत्रालय द्वारा सम्पति कर में वृद्धि के आधार पर सेवा प्रभार प्रति वीजा आवेदन वर्तमान दर से 12 *प्रतिशत* बढ़ाने की अनुमति के परिणामस्वरूप सेवा प्रदाता को अक्तूबर 2011 से दिसम्बर 2012 तक ₹ 3.45 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

भारतीय उच्चायोग, लंदन (मिशन) और उसके बर्मिंघम व एडिनबर्ग स्थित वाणिज्यिक दूतावासों ने विभिन्न वीजा सुविधा सेवाएं प्रदान करने हेतु 24 जनवरी 2008 को मैसर्स वी.एफ. सर्विसेज (यूके) लि. (सेवा प्रदाता) के साथ समझौता किया। समझौते की अनुसूची I की शर्त 4.2 के अनुसार सेवा प्रदाता की सेवा प्रभार की धनराशि तभी बदली जा सकती है जब स्थानीय करों या वैट की दरों में बदलाव हो।

सेवा प्रदाता ने मुद्रास्फीति, भारतीय रूपये के मुकाबले ग्रेट ब्रिटेन पाउण्ड के अवमूल्यन, आवेदकों की संख्या में कमी और दरों और करों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मिशन से सेवा प्रभार प्रति व्यक्ति आवेदन £6.90 से बढ़ाकर £8.80 करने का अनुरोध किया (जुलाई 2010)। मंत्रालय ने स्थानीय करों के कारण सेवा प्रभार को 12 *प्रतिशत* वृद्धि करने की सहमति दी और बताया कि सेवा प्रभार में इतनी प्रतिशतता से बढ़ोतरी की जा सकती है। यद्यपि मंत्रालय ने सम्पत्ति कर में 12 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी सेवा प्रभारों में सम्पति कर के *प्रतिशत*/भार तक सीमित रखने की बजाय त्रुटिवश सम्पूर्ण सेवा प्रभार पर लागू कर दी। इस प्रकार 12 सितम्बर 2011 से प्रति आवेदन सेवा प्रभार बढ़कर £7.70 होने के फलस्वरूप ₹ 3.45 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ, जैसा कि आगे के पैराग्राफों में बताया गया है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला (जनवरी और अगस्त 2012) कि सेवा प्रदाता ने वर्ष 2010 के दौरान 498333 वीजा आवेदनों पर कार्य किया। इस प्रकार, उनके द्वारा वर्ष के दौरान £6.90 प्रति आवेदन की दर से संग्रहित किया गया कुल सेवा प्रभार £3438498 था। वर्ष 2010 और 2011 के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा अदा किया गया सम्पति कर क्रमशः £127230.4 और £139969.20 था। अतः सम्पति कर के कारण व्यय में वृद्धि सम्पूर्ण रूप से £12739 थी। प्रतिशतता में, सम्पति कर 2010 में संग्रहीत सेवा प्रभार की कुल धनराशि का, 2010 में 3.70[1] *प्रतिशत* से बढ़कर 2011 में 4.07[2]

[1] 498333 (2010 के दौरान वीजा आवेदनों की संख्या) को £6.90 से गुणा (प्रति आवेदनकर्ता हेतु सेवा प्रभार) - £3438497.70, £127230.40 (वर्ष 2010 हेतु संपत्ति कर) को £3438497.70 से भाग (2010 हेतु लगाया गया कुल सेवा प्रभार) को 100 से गुणा = 3.70 *प्रतिशत*।

[2] 498333 (2010 के दौरान वीजा आवेदनों की संख्या को £6.90 से गुणा (प्रति आवेदनकर्ता हेतु सेवा प्रभार) - £3438497.70, £139969.20 (वर्ष 2010 हेतु संपत्ति कर) को £3438497.70 से भाग (2010 हेतु लगाया गया कुल सेवा प्रभार) को 100 से गुणा = 4.07 *प्रतिशत*।

प्रतिशत हो गया था। इस प्रकार सम्पति कर में वृद्धि सेवा प्रदाता द्वारा लगाए जा रहे वर्तमान प्रभार का मात्र 0.37[3] *प्रतिशत* थी।

सेवा प्रभार में वृद्धि को वर्तमान दर के 0.37 *प्रतिशत* की वृद्धि तक सीमित रखने के बजाय मंत्रालय ने त्रुटिवश इसे वर्ष 2010 के सम्पति कर की तुलना में सम्पति कर में *प्रतिशत* वृद्धि तक बढ़ा दिया जो 12[4] *प्रतिशत* निकल कर आया। संशोधित सेवा भार मंत्रालय द्वारा अनुमोदित £ 7.70 के स्थान पर £ 6.93[5] होना चाहिए था क्योंकि प्रति आवेदन £0.03 की वृद्धि के परिणामस्वरूप £15658[6] का अतिरिक्त राजस्व सम्पति कर में वृद्धि के कारण होने वाले £12739[7] अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त थी। अतः इस प्रकार संपत्ति कर में वृद्धि के कारण सेवा प्रभार में वृद्धि हुई की गणना करने के लिए गलत विधि अपनाने के परिणामस्वरूप प्रति आवेदन £0.80 सेवा प्रभार की वृद्धि और अक्तूबर 2011 से दिसम्बर 2012 तक सेवा प्रदाता को £455688.31[8] (₹ 3.45 करोड़)[9] का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

मिशन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2012) कि इनपुटों प्रदत्तों को मंत्रालय को उत्तर हेतु अग्रेषित किया जा चुका है और जैसे ही तथ्य मिशन को प्रदान किए जाते हैं, उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2012 में भेजा गया और उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतीक्षित था।

---

[3] 4.07 *प्रतिशत* में से 3.70 *प्रतिशत* घटाकर

[4] £5550.63 (2011के सम्पत्ति कर अर्थात £51140.63 में से 2010 का सम्पत्तिकर अर्थात् £45590 घटाकर) को 2010 के सम्पत्ति कर (£45590) से भाग करके 100 से गुणा करने पर

[5] 6.90 में 0.37 *प्रतिशत* को जमा करके (प्रति आवेदन पर वर्तमान सेवा प्रभार)

[6] 521945 (2011 में सेवा प्रदाता निपटाए गए आवेदनों की संख्या) को £0.03 से गुणा कर £127230 (2010 में सेवा प्रदाता द्वारा अदा किया गया गया संपत्तिकर) घटा पर

[7] £139969 (2011 के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा अदा किया गया सम्पत्तिकर) में से £127230 (2010 के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा अदा किया गया संपत्ति कर) घटाने पर

[8] प्रति आवेदन पर £0.77 को 591803 को गुणा करके (अक्तूबर 2011 से दिसम्बर 2012 के दौरान संसाधित आवेदन की संख्या)

[9] 1£=₹75.71 के विनिमय दर पर (अक्तूबर 2011 की विनिमय दर जोकि अक्तूबर 2011 से जुलाई 2012 तक की अवधि के दौरान सबसे न्यूनतम विनिमय दर थी)= ₹34500162